दिनांक 07.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 11/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत पुलिस विभाग की महिला कार्मिकों हेतु पुलिस मुख्यालय में दो दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प का शुभारम्भ

मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की मंशानुरूप उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश पुलिस तथा अन्य विभागों के स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत **श्री प्रशान्त कुमार**, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय में कार्यरत महिला कार्मिकों के समुचित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु **दिनांकः 07.01.2025 व 08.01.2025 को प्रातः 09.00 बजे** से पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार लखनऊ के भूतल पर टॉवर–4 में स्थित ''गोंड रानी वीरांगना दुर्गावती लाउन्ज'' में बी0वाई0एस0 अस्पताल, लखनऊ द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प का आयोजन किया गया।

श्री अमिताभ यश, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 द्वारा उक्त स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प का शुभारम्भ फीता काटकर एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प में CBC/LFT/KFT/LIPID PROFILE/ BLOOD SUGAR/T3-T4-TSH/VITAMINB12,D/IRON PROFILE /BLOOD PRESSURE/ SPO आदि चिकित्सीय जांचों का लाभ एवं विशेषज्ञ डाक्टरों से उपयोगी राय महिला कार्मिकों को प्राप्त हुयी।

स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प के पहले दिन पुलिस मुख्यालय में स्थित विभिन्न शाखा एवं इकाईयों, यूपी–112, 1090 आदि में नियुक्त लगभग 250 महिला कार्मिकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया।

BYS HOSPITAL
BABU YUGRAJ SINGH HOSPITAL
आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से पुलिस
महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व
कार्यक्रम के अन्तर्गत पुलिस
कार्यरत महिला कार्मिकों के स्वास्थ्य
BYS HOSPITAL, LUCKNOW द्वारा
चिकित्सीय परीक्षण कैम्प का आयोजन

BYS HOSPITAL
BABU YUGRAJ SINGH HOSPITAL
मिशन शक्ति
LUCKNOW द्वारा

BYS HOSPITAL
BABU YUGRAJ SINGH HOSPITAL
मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
CBC / LFT / KFT / LIPID P

दिनांक 07.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 12/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद जौनपुर/थाना खेतासराय

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **नगद रूपये**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 06.01.2025 को थाना खेतासराय व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सोंगर बार्डर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त ताजीम उर्फ तहजीम उर्फ तंजीम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, नगद रूपये, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद जौनपुर, अयोध्या के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खेतासराय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खेतासराय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ताजीम उर्फ तहजीम उर्फ तंजीम निवासी ग्राम रानीमऊ थाना खेतासराय जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–1 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–नगद रूपये।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद इटावा/थाना वैदपुरा

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 06.01.2025 की रात्रि थाना वैदपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान खेड़ा नहर पुल तिराहा पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सैफई जनपद इटावा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद इटावा, कासगंज के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजू निवासी नदरई थाना कोतवाली कासगंज जनपद कासगंज।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना जहांगीरपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का सोने का कुण्डल**
- **नगद रूपये**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 06/07.01.2025 की रात्रि थाना जहांगीरपुर, थाना खुर्जा नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मॉचड़ नहर चौराहा पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—फिरोज उर्फ रिन्कू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—आसिफ सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट का सोने का कुण्डल, नगद रूपये, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना जहांगीरपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जहांगीरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त फिरोज उर्फ

रिन्कू के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जहांगीरपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फिरोज उर्फ रिन्कू निवासी बी हमदर्द नगर जमालपुर थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ़।

2–आसिफ निवासी ग्राम जामुनका थाना चण्डौस जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–लूट का सोने का कुण्डल।

2–नगद रूपये।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जीआरपी अनुभाग गोरखपुर/थाना जीआरपी गोरखपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी की 06 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 07.01.2025 को थाना जीआरपी गोरखपुर व सर्विलांस सेल अनुभाग गोरखपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन गोरखपुर प्लेट फार्म–09 पार्किंग स्थल एमआरएफ सेन्टर के पास से 03 अभियुक्तों 1–आशीष 2–शिवेन्द्र 3–बिट्टू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी की 06 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद गोरखपुर व देवरिया के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 04–04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जीआरपी गोरखपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आशीष निवासी चौरी पिपरहिया थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर।

2–शिवेन्द्र निवासी चौरी पिपरहिया थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर।

3–बिट्टू निवासी बालखुर्द ढूढीचौरा थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1–लूट/चोरी की 06 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

- **जनपद गोरखपुर/थाना चौरीचौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364ए/302 भादवि व 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजेश उर्फ मुलायम 2–जनार्दन को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सोनभद्र/थाना जुगैल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना जुगैल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3)/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त लाल बहादुर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना सुरसा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना सुरसा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील उर्फ छंग्गा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चन्दौली/थाना मुगलसराय (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चन्दौली द्वारा थाना मुगलसराय पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सद्दाम को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मऊ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 51 लाख 05 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद मऊ पुलिस ने अभियुक्त 1–अफजल 2–अमजद पुत्रगण इरफान खान निवासी नेवादा पठानपुरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर द्वारा अपने पिता के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 51 लाख 05 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

एस0टी0एफ0–थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर से वांछित रू0–50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी जुबैर कुरैशी एसटीएफ टीम के साथ हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार।

दिनांक 06–01–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 201/2024 धारा 109, 121(1), 61(2) बी0एन0एस0 व 3/5(ख)/8(1) गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी जुबैर कुरैशी को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

जुबैर कुरैशी पुत्र फिरासत, निवासी घेर मर्दान खां, थाना कोतवाली, जनपद रामपुर।

बरामदगी–

1– 01 अदद तमंचा 315 बोर।

2– 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।

3– 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

4– 01 बुलट मोटरसाइकिल यू0पी0 22 बीसी 0936

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

रामपुर–मुरादाबाद हाइवे से ग्राम बल्लू की मढैया जाने वाला रास्ता। दिनांक 06–01–2025 समय 21:55 बजे।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिनके अनुपालन में श्री अब्दुल कादिर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, बरेली के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 श्री राशिद अली, मु0आ0 गिरिजेश पोसवाल, मु0आ0 संदीप कुमार, आरक्षी संजय यादव, मु0आ0 कमाण्डो विनोद कुमार, मु0आ0 नितिन

कुमार की एक टीम जनपद रामपुर में भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ थाना–तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर से वांछित रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त जुबैर कुरैशी रामपुर–मुरादाबाद हाईवे होते हुए की जाने की फिराक में है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा रामपुर–मुरादाबाद हाइवे से ग्राम बल्लू की मढैया जाने वाला रास्ते पर मुठभेड़ के उपरान्त वांछित अभियुक्त जुबैर कुरैशी को पुलिस हिरासत में लेकर प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल रामपुर भेजा गया है।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसका एक गिरोह है, जो विभिन्न जनपदों से गौवंशी पशुओं को इकठ्ठा करके बिहार राज्य होते हुए पश्चिम बंगाल, बंगलादेश व नेपाल में उनकी सप्लाई करता है, साथ ही उनके मॉस की भी तस्करी करता है। यह अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए बिहार, मुम्बई, केरल आदि राज्यों में छिपकर कर रहता था। 2–3 दिन पूर्व ही रामपुर आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त जुबैर कुरैशी उपरोक्त के विरूद्ध थाना शहजादनगर, जनपद रामपुर में मु0अ0सं0 02/2025 धारा 109 बी0एन0एस0 व 3/25/27 (1–क) पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना शहजादनगर जनपद रामपुर द्वारा की जा रही है ।

<u>आपराधिक इतिहास –</u>

1– मु0अ0सं0–150/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कैमरी, जनपद रामपुर।
2– मु0अ0सं0–151/2020 धारा 471/420/468 भादवि थाना कैमरी, जनपद रामपुर।
3– मु0अ0सं0–493/2017 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली, जनपद रामपुर।
4– मु0अ0सं0–498/2017 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली, जनपद रामपुर।
5– मु0अ0सं0–001/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 थाना गंज, जनपद रामपुर।
6– मु0अ0सं0 96/2022 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोहत्या निवारण अधि0 1955 थाना गंज, जनपद रामपुर।

7— मु0अ0सं0—143/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 थाना गंज, जनपद रामपुर।

8— मु0अ0सं0—298/2022 3/5/8 उ0प्र0 गोहत्या निवारण अधि0 1955 थाना गंज, जनपद रामपुर।

9— मु0अ0सं0—380/2021 धारा 420/406 भादवि थाना गंज जनपद रामपुर।

10— मु0अ0सं0—98/2020 धारा 380/411/457 थाना मिलक जनपद रामपुर।

11— मु0अ0सं0—99/2020 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोहत्या निवारण अधि0 1955 थाना मिलक जनपद रामपुर।

12— मु0अ0सं0—100/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना मिलक जनपद रामपुर।

13— मु0अ0सं0—188/2020 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 थाना मिलक जनपद रामपुर।

14— मु0अ0सं0—201/24 धारा 109,121(1),61(2) बी0एन0एस0 व 3/5(ख)/8(1) गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर।

———————